286/116/175 मोहन बनाम श्रीराम

तारीख पेशी	बनाम 16/00286 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

मोहन बनाम श्रीराम वगैरह

31.1.19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त परिवार के है।। राजस्व रिकार्ड पर्चा सेंटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 को खाता संख्या 186 जयराम पुत्र हरदेव, खाता संख्या 283 हरदेव, गंगाराम पुत्र बलदेव ग्राम मौजमाबाद एवं खाता संख्या 26, खाता संख्या 32 व 33 हरदेव पुत्र बलदेव जाति जाट निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासडा राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज है जिससे प्रमाणित है कि विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा जयराम व पड़दादा हरदेव की है एवं अपीलांट का बाईबर्थ हक व हिस्सा बनता हैं इस महत्वपूर्ण बिन्दु का विवेचन किया बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किये हैं वह विधि सम्मत नहीं हैं। प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प अदालत में किया गया है जबकि आपसी राजीनामें एवं समझाईश के आधार पर ही लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। राजीनामा नहीं होने की सुरत में प्रकरण को विधिवत सुनवायी हेतु रेगुलर न्यायालय में ही सुनवाई की जा सकती है प्रकरण में राजीनामा का प्रयास नहीं किया गया नहीं पक्षकारान को सुचित किया गया। विवादित आराजी पारिवारक एवं पैत्रृक होने से भूमि को प्रोटेक्ट किया जाकर यथास्थिति कायम किया जाना कानूनन आवश्यक थ इस महत्वपूर्ण तथ्य एवं बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाकर मूल वाद तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। दावा संख्या 142/1972, 02/1976 एवं 85/1983 का निर्णय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक द्वारा विधि सम्मत तरिके से किया हैं। यदि प्रार्थी/अपीलांट को कोई आपत्ति थी तो उपखण्ड अधिकारी, साभंरलेक के निर्णय को अपीलीय न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार घोषित किये जाने के लगभग 30 वर्ष बाद दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर भूरा का स्वर्गवास होने के पश्चात भूरा की विरासत का नामान्तकरण की प्रक्रिया को नाजायज तरीके से रूकवाने के लिए यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विवादित आराजी खसरा नम्बर 54, 102, 110, 143, 175/2, 176, 201, 205/2, 219, 250/2, 285/2, 287, 297

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा तहसील मौजमाबाद में स्थित हैं। उक्त आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं जिसमें बाद साक्ष्य व सुनवाई के भूमि के हक व हकूक निर्धारित होगें तब तक विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए हम विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नही करने हेतु उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद पाबंद करना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 54, 102, 110, 143, 175/2, 176, 201, 205/2, 219, 250/2, 285/2, 287, 297 वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा तहसील मौजमाबाद को ताफैसला मूल वाद तक रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किया जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जांता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	